

डिक्री बमूकदमें इब्तादाई  
( आदेश 21 नियम 6.7 जाब्ता दीवानी )

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी - ओमप्रकाश वर्मा आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 105/2022

वादी

1. प्रेमराम पुत्र रामनिवास जाति जाट
2. छोटाराम पुत्र रामनिवास जाति जाट
3. मोटाराम पुत्र रामनिवास जाति जाट समस्त निवासी नराधना, तहसील जायल, जिला नागौर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. रामनिवास पुत्र पांचाराम जाति जाट निवासी नराधना तहसील जायल
2. भागवती देवी पुत्री रामनिवास जाति जाट निवासी नराधना तहसील जायल
3. कुल्ला देवी पुत्री रामनिवास जाति जाट निवासी नराधना तहसील जायल
4. संपु देवी पुत्री रामनिवास जाति जाट निवासी नराधना तहसील जायल
5. अणुति देवी पुत्री रामनिवास जाति जाट निवासी नराधना तहसील जायल
6. संतोष देवी पुत्री रामनिवास जाति जाट निवासी नराधना तहसील जायल
7. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जायल

दावा अधीन धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति -


1. वादी 1 से 3 की ओर से श्री शैलेन्द्र सिंह कालवी, एडवोकेट
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 6 की ओर से श्री इस्लामुदीन काजी एडवोकेट

:: डिक्री आदेश ::

दि. 14/12/2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी वादी के अधिवक्ता श्री शैलेन्द्र सिंह व प्रतिवादीगण के अधिवक्ता श्री इस्लामुदीन काजी एडवोकेट की उपस्थिति मे हुक्म दिया जाता है व दी जाती हैं कि :-


वादी संख्या 1 प्रेमराम के बंट में मौजा नराधना के खेत खसरा नम्बर 707 रकबा 2.0153 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 477 रकबा 2.8895 हक्टेयर रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।

  
उपखण्ड कलक्टर  
(राजस्व) जायल

प्रेमराम वगैराह बनाम रामनिवास वगैराह  
दावा क्रमांक 105/2022  
जीसीएमएस क्रमांक 2022/172

- वादी संख्या 2 छोटाराम के बंट में मौजा नराधना के खेत खसरा नम्बर 231 रकबा 1.7887 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 369 रकबा 1.8939 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 615 रकबा 1.9830 हैक्टेयर में से दक्षिणी भाग रकबा 1.0118 हैक्टेयर रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
- वादी संख्या 3 मोटाराम के बंट में मौजा नराधना के खेत खसरा नम्बर 929 रकबा 2.0882 हैक्टेयर एवं, खसरा नम्बर 931 रकबा 2.2743 हैक्टेयर, व खसरा नम्बर 932 रकबा 0.5018 हैक्टेयर रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
- प्रतिवादी संख्या 1 रामनिवास के हक बंट में मौजा नराधना के खेत खसरा नम्बर 615 रकबा 1.9830 हैक्टेयर में से 0.9712 हैक्टेयर उत्तरी भाग तथा खसरा नम्बर 614 रकबा 2.4686 हैक्टेयर रखा जाकर खातेदारी की घोषणा कि जाती है।
- तहसीलदार जायल को निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवादी सं. 2 से 6 के द्वारा आराजी भूमि में बंट नहीं रखने से मामला पुश्तैनी भूमि से हक त्याग की श्रेणी का आने से नियमानुसार स्टाम्प शल्क राजकोष में जमा होने पर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करे।

आज की तारीख लीज - मुबलिक - बाबत् - खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर - फीस सदी सालाना ख,तारीख वसूल योगो तक - को अदा करें। बसीबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 14/12/2022 को जारी किया गया



(ओम प्रकाश वर्मा)  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
जायल

वर्ग	रुपये	पैसे	मुदायला	रुपये	पैसे
टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
टाम्प वजह साबूत			मेहनताना वकील		
हनताना वकील			खर्चा गवाहन		
र्चा गवाहन			फीस कमीष्जर		
पेस कमीष्जर			बाबत् इजराय हुक्मीजान		
बत इजराय हुक्मीजान			मुतफरिंक		
फरिंक					

टि :- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा यह दो फरीकन को चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं करना चाहिये।

(ओम प्रकाश वर्मा)  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
जायल